न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–184 / 2024
GCMS No. -2024/630

1. प्रकाशचन्द्र पुत्र पृथ्वीराजजी जाति भील आयु 33 वर्ष निवासी ओरवाडीया तह० बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज०

–वादी

बनाम

1. सुरेश पिता छोगाजी जाति वातडा आयु 53 वर्ष निवासी खोडीप तह० भदेसर जिला चित्तौडगढ राज०
2. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. उपपंजीयक निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. जमनालाल पुत्र पन्नालाल भील निवासी संडियाराडा पंचायत दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
5. हर खास व आम

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

उपस्थित :–	1–	श्री विशाल कूमावत	–	अधिवक्ता वादीगण
	2–	श्री विक्रम खेरोदिया	–	अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 4

::निर्णय::

दिनांकः–20.12.2024

1. पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वांद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी के स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात वाके मौजा मण्डलाचारण प०ह० मण्डलाचारण तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 238 की आराजी नं0 996 / 75 रकबा 0.7600 हैक्टेयर स्थित हैं।

2. वादग्रस्त आराजीयात मांगीलाल पुत्र अमराजी भील निवासी तेजपुरा की ढाणी तह० भदेसर की पंजीकृत विक्रय पत्रसे क्रय शुदा आराजीयात जो मांगीलाल जी भील के खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही थी, मांगीलालजी व उनकी पत्नि नोजीबाई पत्नि मांगीलाल जी भील जी की सेवा चाकरी वादी प्रकाशचन्द्र भील करता चला आ रहा था, तथा वादी प्रकाशचन्द्र की सेवा चाकरी से खुश होकर मांगीलालजी ने अपनी स्वअर्जित, खातेदारी व कब्जे काश्त की वादग्रस्त पुराने आराजी नं0 802 / 46 रकबा 3 बिघा जो मांगीलालजी की स्वअर्जित होकर उक्त सम्पूण 3 बिघा आराजीयात जिसके वर्तमान आराजी नं0 996 / 75 रकबा 0.7600 हैक्टेयर पर, मांगीलालजी के देहान्त के बाद उक्त आराजीयात मांगीलालजी की वसीयत अनुसार मांगीलाल जी की पत्नि नोजीबाई के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:37:39 IST
Reason: SelfAttested

3. मांगीलालजी के कोई जाईन्दा औलाद नही होने से तथा वादी द्वारा ही मांगीलालजी व उनकी पत्नि नोजीबाई की सेवा चाकरी की गई जिससे प्रसन्न होकर मांगीलाल जी द्वारा दिनांक 17 / 01 / 2011 को एक वसीयत वादी के पक्ष में रुबरु गवाहन को 50 रुपये के स्टाम्प पर निष्पादित कर दी थी, तथा वसीयत अनुसार मांगीलालजी के

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

देहान्त के बाद उक्त सम्पत्ति उनकी पत्नि नोजीबाई के नाम पर तथा नोजीबाई की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात 3 बिघा का मालिक स्वामी वादी अकेला होगा, तथा नोजीबाई का देहान्त हो गया हैं और मांगीलालजी व नोजीबाई कीं वादग्रस्त आराजीयात पर वादी मांगीलालजी एवं नोजीबाई के समय से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीका कोई ताल्लुक सरोकर सम्बनधा नही रहा हैं। वादी मांगीलालजी एवं नोजीबाई के देहान्त क बाद जरीये वसीयत दिनांक 17/01/2011 से वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक स्वामी हो चुका है तथा वादी मांगीलाल व नोजीबाई के जीवन काल से ही वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है मांगीलालजी के द्वारा उनके जीवन काल में की गई वसीयत अनुसार वादग्रस्त सम्पत्ति वादी के नाम खातेदारी में दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीको कहा तो प्रतिवादीटाल चाल कर रहे है और वादी व गांव के मौतबीरान व रिश्तेदारो द्वारा समझाने बुझाने पर भी किसी भी सुरत में मानने को तैयार नहीं हैं और वादग्रस्त भूमि वादी के नाम पर घौषित करा दर्ज कराने से इंकार हो गये हैं। इसलिए वादी वादग्रस्त आराजी नं0 996/75 रकबा 0.7600 हेक्टेयर मौजा मण्डलाचारण वादी के नाम घौषित कराने का अधिकारी हैं।

4. मांगीलालजी द्वारा उनके जीवन काल में की गई वसीयत दिनांक 17/01/2011 के अनुसार मांगीलालजी व नोजीबाई के देहान्त के बाद से वादी वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वादग्रस्त सम्पत्ति में प्रतिवादीका कोई हक हिस्सा व कब्जा किसी हैसियत से नही रहा है। वादी के पिता मांगीलालजी एवं नोजीबाई के देहान्त के बाद, उक्त भूमि पर वादी शांतिपूर्ण तरीके के बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं, वादी ने नोजीबाई की दर्ज शुदा वादग्रस्त आराजीयात को मांगीलालजी एवं नोजीबाई के देहान्त के बाद मांगीलालजी द्वारा उनके जीवन काल में की गई वसीयत अनुसार वादग्रस्त सम्पत्ति वादी के नाम खातेदारी में दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीको कहा तो प्रतिवादीटाल चाल कर रहे है और वादी व गांव के मौतबीरान व रिश्तेदारो द्वारा समझानेबुझाने पर भी किसी भी सुरत में मानने को तैयार नहीं हैं और वादग्रस्त भूमि वादी के नाम पर घौषित करा दर्ज कराने से इंकार हो गये हैं। तथा वादी को उसके हक हिस्से व कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नं० 1 राजस्व कर्मचारियो से मिलकर राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम पर दर्ज करा, वादग्रस्त आराजीयात को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत करने पर आमादा है, तथा राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन करने पर आमादा हैं तथा वादी को जबरन बेदखल करने पर आमदा है और वादी को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि की हकाई जुताई, फसल बुवाई निंराई गुडाई आदि करने मे जबरन बाधा पैदा कर रहे हैं वादी एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा प्रतिवादीको समझाने बुझाने पर भी प्रतिवादीकिसी भी सुरत में मानने को तैयार नही है। इसलिए वादी प्रतिवादीके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी है।

5. वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वामित्व अधिपत्य की आराजीयात होकर वादग्रस्त आराजी नं० 996/75 रकबा 0.7600 हेक्टेयर वादी के नाम घौषित करा कर राजस्व रेकार्ड में वादी अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं तथा नोजीबाई का नाम विलापित कराने का अधिकारी हैं। प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावे. कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादी के हक हिस्से व कब्जे की आराजीयात से वादी को जबरन बेदखल नही करे न करावें, वादी के [illegible] काश्त की आराजीयात मे जबरन नाजायज कब्जा नही करें न करावें, वादी [illegible] हक हिस्से व कब्जे की भूमि की हकाई जुताई, फसल बुवाई, [illegible] ले जाने आदि करने मे जबरन बाधा पैदा नहीं करे न करावें तथा [illegible] को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत नही करें [illegible] करावें। राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:57:39 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी 1,4 की और से उनके अधिवक्ता श्री विक्रम खालोटिया की और से सहमति जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी संख्या 5 की तामिल अखबार के माध्यम से कराई गई जो बावजुद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये। प्रतिवादी संख्या 2,3 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में पीडब्लू 1 प्रकाशचन्द्र , पीडब्लू 2 रूपलाल डांगी, पीडब्लू 3 उंकारलाल डांगी, डी डब्लू 1 जमनालाल के शपथ पेश कर बयान कराए गए। तथा साक्ष्य में नकल जमाबन्दी प्रदर्शः 1, विक्रय पत्र की प्रति प्रदर्शः2ए, प्रदर्श ए 1 शपथ पत्र मय तहसीलदार निम्बाहेडा एवं भदेसर की वारिस जांच रिपोर्ट की प्रति पेश की।

7. वकील वादीकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 1,4 के अधिवक्ता द्वारा सहमति जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही होने एवं दस्तावेजी साक्ष्य में वादी में नकल जमाबन्दी प्रदर्शः 1, विक्रय पत्र की प्रति प्रदर्शः2ए, प्रदर्श ए–1 शपथ पत्र मय तहसीलदार निम्बाहेडा एवं भदेसर की वारिस जांच रिपोर्ट पेश की जिसमे नोजी बाई का वारिसान रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 4 जमनालाल के अलावा और कोई वारिस होना जाहिर नहीं हुआ है तथा उक्त भूमि वादी प्रकाशचन्द्र को वसीयत करने के बाद स्वीकार की है तथा वादी के नाम वादग्रस्त आराजी की घोषणा की जाने की सहमति प्रदान की है जिससे वादी के कथनों को बल मिलता है। वादीका वाद डिक्री योग्य है।

8. अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि वाके मौजा मण्डलाचारण पटवार हल्का मण्डलाचारण तहसील निम्बाहेडा की आराजी नं0 996/75 रकबा 0.7600 हैक्टेयर नोजीबाई पत्नी स्वं मांगीलाल भील के बजाए वादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किया जाने की घोषणा की जाती है तथा प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से व कब्जे की आराजीयात से वादी को जबरन बेदखल नही करे न करावें, वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की आराजीयात मे जबरन नाजायज कब्जा नही करें न करावें, वादी को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि की हकाई जुताई, फसल बुवाई, निंराई गुडाई, फसल लाने ले जाने आदि करने मे जबरन बाघा पैदा नहीं करे न करावें। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार निम्बाहेड़ां अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डिकी पर्चा पृथक से बनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:57:39 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा